रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 22

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 486] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 14, 1972/कार्तिक 23, 1894

No. 486] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 14, 1972/KARTIKA 23, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

CENTRAL SECRETARIAT

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

ORDER

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 14th November 1972

S.O. 705(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Imports & Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Exports (Control) Order 1968, namely:—

1. This order may be called the Exports (Control) Eighteenth Amendment Order, 1972.

2. In Part B of Schedule I to the Exports (Control) Order, 1968, item No. 50 should be amended to read as:—

"Footwear all types".

[No. E(C)O.1968/AM(88).]

M. M. SEN,

Chief Controller of Imports & Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

आदेश

निर्यात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 1972

एस० ओ० 705(अ).—आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1947 (1947 का 18) के खंड 3 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1968 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश का निर्माण करती है, अर्थात् :—

1. इस आदेश को निर्यात (नियंत्रण) अठारहवां संशोधन आदेश, 1972 की संज्ञा दी जाए।

2. निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1968 के लिए अनुसूची 1 के भाग बी में मद संख्या 50 को निम्न प्रकार से पढ़ने के लिए संशोधित किया जाए :—

"सभी प्रकार के जूते।"

[संख्या ई (सी) ओ, 1968/एएम (88)]

एम० एम० सेन,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972